फा सं.1-8(3)/2019 सा.II
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली- 110069

निविदा आमंत्रण सूचना

एयरमेल बैगों की आपूर्ति के लिए वार्षिक संविदा प्रदान करने के लिए उन वेंडरों, जिनका प्रत्येक विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वार्षिक कारोबार कम से कम 1 करोड़ रूपए या इससे अधिक रहा हो, से दो बोली प्रणाली के अंतर्गत ऑन लाइन बोलियां आमंत्रित की जाती है। आपूर्ति किए जाने वाले एयरमेल बैगों का विशिष्ट विवरण इस दस्तावेज के अनुबंध-I में वर्णित किया गया है। मैनुअल बोलियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।

निविदा दस्तावेज आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in (केवल संदर्भ के लिए) तथा सी पी पी पोर्टल साइट https://eprocure.gov.in/eprocure/appसे डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिसका कार्यक्रम नीचे **क्रिटिकल डेटशीट** में दिया गया है:-

क्रिटिकल डेटशीट

सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित किए जाने की तारीख	08/01/2020
दस्तावेज डाउनलोड करने की प्ररम्भिक तारीख	08/01/2020
दस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तारीख	28/01/2020
बोली प्रस्तुती करने की प्रारम्भिक तारीख	08/01/2020
आनलाइन निविदा को अपलोड करने की अंतिम तारीख एवं समय	28/01/2020
स्पष्टीकरण की प्रारम्भिक तारीख	08/01/2020
स्पष्टीकरण की अंतिम तारीख	20/01/2020
तकनीकी बोलियों को खोलने की तारीख तथा समय	31/01/2020
जमा धरोहर राशि (ई एम डी)	4,00,000/- रूपए

बोलियां केवल सीपीपीपी वेबसाइट: https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ऑनलाइन ही जमा करनी होंगी।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-प्रापण के लिए "केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल https://eprocure.gov.in/eprocure/app के माध्यम से ऑन लाइन बोलियों के ई-प्रस्तुतीकरण के लिए निविदाकर्ता/संविदाकर्ता के लिए अनुदेशों" में दिए गए अनुदेशों का पालन करें।

बोली दस्तावेजों को श्वेत एवं श्याम विकल्प सहित **100 dpi** के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेजों के आकार को कम करने में मदद करता है।

सामान्य निबंधन तथा शर्तें

1. बोलियां प्रस्तुती की प्रक्रिया

बोलियां केवल **केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल (ई-प्रापण)** के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

निविदा दो भागों में अर्थात् तकनीकी और वित्तीय बोली में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी :-

> प्रस्तुत किए जाने वाले सभी पृष्ठों पर बोलीदाता के **हस्ताक्षर होने चाहिए** और दस्तावेजों के विषयवस्तु की प्रकृति से असम्बद्ध होते हुए दस्तावेजों को अपलोड किए जाने से पहले **क्रमिक रूप से संख्या डाली जानी चाहिए।**

> फैक्स/ई-मेल अथवा अन्य किसी मोड में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

> क्रिटिकल डेटशीट में उल्लेख किए अनुसार **4,00,000/-रू. की जमा धरोहर राशि** को मूल दस्तावेजों की **हार्डकापी** आनलाइन बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख/ समय पर या उससे पहले **अवर सचिव (सामान्य-II) कमरा सं. 208ए, आयोग सचिवालय बिल्डिंग** को दी जाए।

(i) तकनीकी बोली:

बोलीदाता को **अनुबंध-V** में दर्शाई गई **जांच सूची** में उल्लिखित निम्नलिखित दस्तावेज जिन पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए गए हो, तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करने होंगे अर्थात् :-

(क) पैन कार्ड की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति।

(ख) जी एस टी पंजीकरण प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति।

(ग) फर्म की वर्ष 2017-18 सहित विगत (3 वर्ष) वित्तीय वर्षों की आयकर विवरणियों की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रतियां।

(घ) वर्ष 2017-2018 सहित फर्म की **विगत तीन वर्षों** की लेखा परीक्षा की बैलेंस शीटों की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रतियां।

(ड) विगत 5 वर्षों के दौरान कम से कम 2 खरीद आदेशों की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रतियां

(च) आईएसओ प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति।

(छ) 4,00,000/- रू. की जमा धरोहर राशि (ई एम डी) की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति।

(ज) **अनुबंध-II और अनुबंध-III** के तहत अपेक्षित प्रमाण-पत्रों की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति।

(झ) अनुबंध-I में दिए गए विवरण के अनुसार काटन एयरमेल बैगों के दो नमूने।

(ञ) एयरमेल बैगों के नमूनों के संबंध में एनएबीएल प्रमाणित प्रयोगशाला कर मूल परीक्षण प्रमाणपत्र।

(ii) <u>मूल्य बोली</u>

मूल्य बोली अनुसूची अनिवार्यत: निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत की जाए। बोलीदाता हर हाल में मूल्य बोली के लिए निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-IV) में ही दर प्रस्तुत करेंगे। दरें करों को अलग कर उद्धृत की जाए। दरों सहित करों को अलग से उद्धृत किया जाए।

2. <u>जमा धरोहर राशि :</u>

निविदा के साथ **<u>4,00,000/-रू0 (केवल चार लाख रूपए)</u>** की जमा धरोहर राशि अनिवार्य तौर पर अपेक्षित है। जमा धरोहर राशि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, दिल्ली/ नई दिल्ली को देय किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/एफ डी आर के रूप में जमा की जानी आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। केंद्रीय भण्डार, एन सी सी एफ, एन एस आई सी डीजीएस एंड डी में रजिस्टर्ड फर्म तथा नियमों के अंतर्गत धरोहर राशि जमा करने से छूट प्राप्त किसी भी संगठन को किसी भी दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जमा धरोहर राशि प्रस्तुत करने से छूट है। अन्य बोलीदाताओं को ऊपर बताए अनुसार निर्धारित प्रपत्र में जमा धरोहर राशि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(i) जमा धरोहर राशि अंतिम बोली वैधता अवधि के बाद **45 (**पैंतालीस**)** दिन की अवधि तक वैध रहेगी।

(ii) जमा धरोहर राशि को स्कैन करके और निविदा प्रस्तुत किए जाने की अवधि के भीतर ई-टेंडरिंग वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए और मूल प्रति को संघ लोक सेवा आयोग में जमा करा दिया जाए।

(iii) असफल बोलीदाताओं की जमा धरोहर राशि निविदा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उन्हें वापस लौटा दी जाएगी। जमा धरोहर राशि पर किसी भी परिस्थिति में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

3. <u>निष्पादन प्रतिभूति</u> : संविदा के सफल बोलीदाता को प्रत्येक प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए वार्षिक संविदा मूल्य में 5% की दर से निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी। प्रत्येक वर्ष की निष्पादन प्रतिभूति तीन वर्षों के में से प्रत्येक वर्ष के आरम्भ होने पर प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम और द्वितीय वर्ष की निष्पादन प्रतिभूति की वैधता 15 माह की अवधि के लिए होगी। तृतीय वर्ष की निष्पादन प्रतिभूति वारंटी देयताओं, यदि कोई हो सहित सभी संविदात्मक देयताओं के पूरा होने के नब्बे दिन तक वैध रहेगी। निष्पादन प्रतिभूति सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष में दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर/ बैंक गारंटी के रूप में होगी। निष्पादन प्रतिभूति प्रत्येक तीन वर्ष के कार्य के संतोषजनक रूप से पूरा करने तक आयोग के पास रहेगी। यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए कि कार्य के क्षेत्र के अनुसार कार्य

पूरा न करने की स्थिति में निष्पादन प्रतिभूति ज़ब्त कर ली जाएगी। यह निर्धारित क्षति/ शास्तियों, यदि कोई हों, जो इसके यथानिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार लगाई जाने वाली के अतिरिक्त होगा। निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति पर सफल बोलीदाता को जमा धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निष्पादन प्रतिभूति पर किसी भी परिस्थिति में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

<u>पात्रता संबंधी मानदंड :</u>

4. बोलीदाता सरकारी संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों/ प्रतिष्ठित निजी कम्पनियों में इसी तरह सामग्री की आपूर्ति कम से कम विगत 5(पांच) वर्षों से कर रहा हो। इस संबंध में विगत 5 वर्षों के दौरान कम से कम 2(दो) खरीद आदेशों की प्रतियां तकनीकी बोली के साथ अनशन संलग्न की जाए।

5. बोलीदाता का विगत तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान कारोबार कम से कम 1 करोड़ रू. अवश्य रहा हो। इस संबंध में बोलीदाता को वर्ष 2017-2018 सहित गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए फर्म के लेखा परीक्षा किए गए तुलन पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

6. एनएबीएल प्रमाणित प्रयोगशालाओं से प्राप्त मूल परीक्षण प्रमाण पत्र सहित अनुबंध-I में दिए गए विनिर्देशों की पुष्टि करते हुए सूती एयरमेल बैग के दो समरूप नमूनों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एक नमूने में संबंधित फर्म का कोई चिन्ह या मुहर नहीं होनी चाहिए। दूसरे नमूने में फर्म को अपनी मुहर लगानी चाहिए और उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। नमूनों को अलग अपारदर्शी सीलबंद लिफाफे में रखें, जिस पर मोटे अक्षरों में " सूती एयरमेल बैग की आपूर्ति के लिए नमूने" लिखा होना चाहिए। यदि आवश्यकता हुई तो इस निविदा नमूने को भविष्य में आपूर्ति किए जाने के लिए सभी अग्रिम नमूने के रूप में माना जाएगा। सं.लो.से.आ. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के बैग को यादृष्छिक रूप से चुनेगा और इसकी गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजेगा। उक्त नमूना अनिवार्यत: बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले सा. II अनुभाग, कमरा सं. 2 आयोग सचिवालय बिल्डिंग,संघ लोक सेवा आयोग,शाहजहां रोड,नई दिल्ली को सौंपा दिया जाए।

7. बोलीदाता आईएसओ प्रमाणित कम्पनी हो। तकनीकी बोली के साथ दस्तावेज़ी सबूत संलग्न होने चाहिए।

<u>अन्य निबंधन एवं शर्तें:</u>

8. संविदा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन संविदा प्रदान करने की तारीख से 3(तीन) वर्ष के लिए वैध होगी।

(i) संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से एक माह का नोटिस देकर संविदा को समाप्त कर सकता है।

(ii) संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से उन्हीं शर्तों और निबंधनों पर एवं तृतीय वर्ष की दर पर आगे एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा को बढ़ा सकता है।

9. सामग्री के विनिर्देशों में विचलन की स्थिति में बोलीदाता के जोखिम पर सम्पूर्ण आपूर्ति रद्द कर दी जाएगी। अत: बोलीदाताओं को बैग के विनिर्देशों के अनुसार और अनुमोदित नमूने के अनुसार गुणवत्ता के सतत अनुपालन की सलाह दी जाती है। बोलीदाता द्वारा अवमानक अथवा घटिया गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करते पाए जाने की स्थिति में फर्म को सरसरी तौर पर काली सूची में डाल दिया जाएगा और निष्पादन प्रतिभूति ज़ब्त कर ली जाएगी।

10. अनुमानित वार्षिक मात्रा सम्भावित है और संघ लोक सेवा आयोग की अपेक्षा के अनुसार बढ़ या घट सकती है।

11. बोलीदाता बोली मूल्य में तीन वर्षों की अवधि के प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक मद के लिए अलग से वार्षिक यूनिट दर दर्शाएगा। विहित प्रारूप में प्राप्त न होने वाली बोलियों को निरस्त कर दिया जाएगा।

12. कर दरों के साथ अलग से उद्धृत नहीं किए जाएंगे। वे बोलीदाता जो अलग से कर दरें उद्धृत नहीं करतें हैं उन पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी बोली निरस्त कर दी जाएगा।

13. **बोलियों का मूल्यांकन :-**

(i) तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए तकनीकी बोली दस्तावेजों और काटन एयरमेल बैगों के नमूनों के आधार पर किया जाएगा।

(ii) **वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन :**

क केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोलियां संघ लोक सेवा आयोग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी बोलियों की विस्तृत जांच के बाद अनुमोदित की गई हैं।

ख वित्तीय मूल्यांकन प्रत्येक तीन वर्ष के लिए यूनिट दर को शामिल करते हुए निवल किया जाएगा। एल-1 वार्षिक रूप से 10% की दर डिस्काउंट देते हुए निवल वर्तमान मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। एल-1 फर्म का निर्णय करने के लिए गणना का ब्यौरा बोली मूल्य (अनुबंध-IV) में दिया गया है। एल-1 वेंडर का चयन निवल वर्तमान मूल्य के आधार पर किया जाएगा। तथापि भुगतान यथा लागू करों सहित वेंडर द्वारा उद्धृत की गई यूनिट दर वर्षवार आधार पर किया जाएगा।

14. बोलियां तकनीकी बोलियों के खुलने की तारीख से अधिकतम 180 दिनों के लिए वैध रहेगी।

15. काल्पनिक, सशर्त तथा अपूर्ण बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

16. संघ लोक सेवा आयोग को बिना कोई कारण बताए सभी अथवा किसी भी बोली को स्वीकार या रद्द करने का अधिकार है। इस संबंध में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

17. आयकर : यथा लागू बिलों से स्रोत पर वसूली योग्य। बोलीदाताओं को अपना स्थायी आयकर खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना होगा। बोलीदाताओं को वर्ष 2017-2018 सहित विगत तीन वित्तीय वर्ष के लिए फर्म की आयकर विवरणियों की प्रतियां भी उपलब्ध करनी होंगी। उन्हें अनुबंध-II में बताए अनुसार यह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आय/ धन छुपाने के कारण दण्डित नहीं किया गया अथवा दोषी नहीं ठहराया गया।

18. बोलीदाता को जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र जिसमें फर्म का जीएसटी पहचान नं. (जीएसटीआईएन) हो, प्रस्तुत करना होगा।

19. **सुपुर्दगी अवधि :** वेंडर को आपूर्ति आदेश जारी होने के 45 दिनों के भीतर आदेश की गई मद की मात्रा सुपुर्द करनी होगी। तथापि आपातकालीन स्थिति में आपूर्तिकर्ता को अपेक्षित वस्तु की तत्काल

आपूर्ति के लिए कहा जाएगा और इस कार्यालय को वस्तु भेजने का व्यय केवल सम्बद्ध फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।

सफल वेंडर को प्रत्येक आपूर्ति के साथ एनएबीएल प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी । एनएबीएल प्रयोगशाला रिपोर्ट में अनुबंध-I में यथा विर्निष्ट आईएस विनिर्देशों के समनुरूप आपूर्ति की गई सामग्री की पुष्टि की जानी चाहिए ।

20. **भुगतान की शर्तें :** भुगतान वेंडर द्वारा सामग्री की सफलतापूर्वक आपूर्ति किए जाने तथा प्रयोक्ता शाखा द्वारा प्रमाणन किए जाने के बाद किया जाएगा ।

21. **जोखिम क्रय खंड :** यदि फर्म, बोली जमा होने और इसके विधिवत स्वीकार होने और आदेश प्राप्त होने के बाद निविदा दस्तावेजों के निबन्धन और शर्तों के अनुपालन में विफल रहती है और/ अथवा नियत कार्यक्रम के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने में असफल रहती है या किसी भी समय संविदा का परित्याग करती है, तो सं.लो.से.आ. की जमा धरोहर राशि ज़ब्त करने, फर्म द्वारा जमा की गई निष्पादन प्रतिभूति को भुनाने और फर्म के ज़ोखिम और खर्च पर अन्य फर्म द्वारा कार्य कराने का अधिकार होगा । वैकल्पिक व्यवस्था और फर्म के बोली मूल्य के बीच के लागत संबंधी अंतर की वसूली अन्य प्रासंगिक प्रभारों के साथ फर्म से की जाएगी । यदि संघ लोक सेवा आयोग वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से सामग्री प्राप्त करने के लिए बाध्य होता है और यदि लागत कम हो तो इस कारण होने वाला कोई भी लाभ फर्म को नहीं दिया जाएगा ।

22. **निर्धारित क्षति :** सामग्री की आपूर्ति प्रत्येक आपूर्ति आदेश जारी होने के 45 दिनों के अंदर सम्पन्न करनी होगी अन्यथा प्रत्येक दिन के विलम्ब के लिए विलम्बित वस्तुओं की कीमत के 0.5% की दर से निर्धारित क्षति जो कि उस विशेष आपूर्ति आदेश के अधिकतम 10% के अध्यधीन होगी, अधिरोपित की जाएगी और संबंधित बिल से काट ली जाएगी । 10 दिन से अधिक का विलम्ब होने पर संघ लोक सेवा आयोग आपूर्ति आदेश निरस्त कर सकता है तथा फर्म के निष्पादन प्रतिभूति की पूर्ण राशि अथवा वह राशि जो आयोग उचित समझे, ज़ब्त कर लेगा और बोलीदाता के ज़ोखिम एवं लागत पर सामग्री को किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कर सकेगा । सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

23. **मध्यस्थता :** संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म के बीच पैदा होने वाले किसी विवाद या मतभेद जो इस संविदा के किसी निर्णय, अर्थ तथा प्रचालन या प्रभाव या संविदा भंग होने की स्थिति में उत्पन्न हो, तो ऐसे विवाद का निपटान मध्यस्थता तथा समाधान अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म दोनों के लिए बाध्यकारी होगा । मध्यस्थता का स्थान दिल्ली होगा ।

24. **क्षेत्राधिकार :** उपर्युक्त मध्यस्थता के अध्यधीन के प्रवर्तन के संबंध में वाद या कार्यवाही दिल्ली स्थित न्यायालयों में दायर की जाएगी और उस पर न्यायिक जांच होगी न कि अन्य किसी न्यायालय में साथ ही दोनों पक्ष ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने के प्रति स्वेच्छा से सहमत होंगे ।

25. **अनिवार्य बाध्यता :** संघ लोक सेवा आयोग अथवा बोलीदाता, जैसा भी मामला हो, को संविदात्मक देयता को पूरा करने में कोई विफलता अथवा चूक होने अथवा प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग लगने, बाढ़, भूकम्प, तूफान आदि के कारण और नियंत्रण से बाहर के जैसे, सिविल हड़ताल, तालाबंदी, हड़ताल दंगे, सिविल वार आदि के कारण इसके कार्य के निष्पादन में विलम्ब होने पर ऐसी चूक, विफलता अथवा विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा और कार्य निष्पादन के अपने सम्बद्ध दायित्वों से मुक्त होंगे, बशर्ते एक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसी घटना होने के 21 दिनों के भीतर

सूचना दे देता है । कोई भी पक्षकार जब भी अनिवार्य बाध्यता के लिए नोटिस देता है तो उन्हें किसी सरकारी विभाग या एजेंसी या चैम्बर ऑफ कामर्स से प्रमाण पत्र के रूप में ऐसी घटनाओं की पुष्टि करनी होगी । पक्षकारों को अनिवार्य बाध्यता जारी रहने की स्थिति में तक इसके अंतर्गत निष्पादन से सम्बद्ध उनकी देयताओं से मुक्त किया जाएगा और जिस सीमा तक उनका निष्पादन ऐसी अनिवार्य बाध्यता की स्थिति से प्रभावित होता है बशर्ते उपर्युक्तानुसार नोटिस दिया जाता है और उपर्युक्त में किए गए प्रावधान के अनुसार अनिवार्य बाध्यता की स्थिति स्थापित होती है । तथापि, यदि संविदा संबंधी कार्य निष्पादन हड़ताल, तालाबंदी आदि, के कारण 60 दिनों से अधिक समय तक रोका जाता है तो सं.लो.से.आ. को संविदा समाप्त करने का अधिकार है ।

26. सफल बोलीदाता द्वारा संतोषजनक कार्य निष्पादन न करने की स्थिति में संघ लोक सेवा आयोग विवेकाधिकार से एक माह का नोटिस देकर संविदा को समाप्त कर सकेगा और यह किसी अन्य फर्म को दे सकता है तथा इस कार्यालय द्वारा उठाई गई हानि/ क्षति के संबंध में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा निर्धारित राशि सफल बोलीदाता से वसूल की जाएगी । इस संबंध में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा ।

27. कृपया ऐयर मेल बैगों के नमूनों को सभी कार्य दिवसों में अपराह्न 3.00 से 5.00 बजे के बीच सामान्य II अनुभाग (011-23381141) में देखा जा सकता है ।

28. इस निविदा से सम्बंधित कोई भी पूछताछ कार्यालय समय के दौरान हेल्पलाइन नं0- 011-23381141 पर की जा सकती है ।

29. यह निविदा नोटिस संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

(आर.के. दीक्षित)
अवर सचिव (सामान्य-II)

अनुबंध-I

एयरमेल बैगों की विशिष्टताएं

1. एयरमेल बैगों का निर्माण भारतीय मानक आईएस: 11055-1984 पुनर्निर्धारित 2010 के अनुसार किया जाना चाहिए।

एयरमेल बैगों का विवरण

वस्तु का नाम	**थैले का आकार**	**प्रति बैग लूपों की संख्या**	**अनंतिम मात्रा**		
			प्रथम वर्ष	**द्वितीय वर्ष**	**तृतीय वर्ष**
एयरमेल बैग	105	4 (चार)	20,000	40,000	40,000

(दोसूती बैग) काला	से.मी.x35 से.मी.x35 से.मी.				

2. <u>उत्पादन</u> : बैगों का निर्माण सूती (कॉटन) दोसूती (काला) (240/मी^{2}) से इस प्रकार किया जाएगा ताकि इनके सभी पहलू आईएस 179:1977(आरई : 2010) के अनुरूप हों, केवल रंग के पक्केपन (कलर फास्टनेस) को छोड़कर, जो इन मानकों के 3.4 के अनुरूप होगा। इस्तेमाल किए गए कपड़े का रंग काला होगा।

बैग बनाने के लिए काले रंग के कपड़े के 2 टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। एक टुकड़े से इसका बगल तैयार किया जाएगा और दूसरे से इसका तला। इसके तले का हिस्सा वर्गाकार होगा और इसका नाप 35x35 से.मी. और इसका कुल आकार 140 से.मी. होगा। बैग का वजन लगभग 350 ग्राम होगा।

3. <u>**सीवन (सीम)**</u> : बैग के बगल के हिस्से को मशीन से सिला जाएगा और सीवन की दोहरी कतारें दी जाएंगी। कपड़े का पहला मोड़ लगभग 5 मि.मी. का होगा और दूसरा मोड़ लगभग 10 मि.मी. पर दिया जाएगा। पूरी सीवन का कसाव एक जैसा होना चाहिए और धागों के खुले सिरे मजबूती से बंधे होने चाहिए। प्रति डेसीमीटर सीवनों की न्यूनतम संख्या 28 होनी चाहिए। सीवन, बैग के अंदरूनी तरफ होगी ताकि इसके उधड़ने की संभावना न रहे।

4. <u>**टैब**</u> : कास्ट एल्यूमीनियम लूप लगाने के टैब उसी सामग्री से तैयार किए जाएंगे जिस सामग्री के बैगों होंगे। इन टैबों में कपड़े की दो परतों का इस्तेमाल किया जाएगा और इन्हें बैगौं के मुंह पर सफाई से सिला जाएगा। इनका आकार, बैगों के आकार के अनुरूप होगा।

5. <u>**धागा**</u> : सिलाई के लिए इस्तेमाल किया गया धागा आईएस: 1720-1978 के 36/6/(165x6) के अनुरूप होगा। सिलाई के लिए इस्तेमाल किए गए धागे के रंग और डाई का पक्कापन वही होना चाहिए जो मूल सामग्री का हो।

6. <u>**लूप**</u> : एल्यूमीनियम लूप 4.5 मि.मी. व्यास से पतला नहीं होना चाहिए। बैग के आकार के अनुसार प्रत्येक बैग पर चार लूप उपलब्ध कराए जाएंगे।

7. <u>**थैलों के मुंह को मजबूत बनाना**</u> : थैलों के मुंह को मजबूती प्रदान करने के लिए इस पर 7 मि.मी. व्यास की सूती लाइन सिली जाएगी। इस लाइन को 5 से.मी. की लंबाई पर भली-भांति जोड़ते (स्प्लाइस) हुए बैग पर सिला जाएगा।

8. <u>**निरीक्षण**</u> :

(i) आपूर्तित बैगों का वजन, अग्रिम नमूने के तौर पर सप्लाई किए गए बैग के वजन तथा आकार सहित सत्यापन के उपरोक्त मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए।

(ii) बैगों के प्रत्येक खेप के साथ वेंडर, एनएबीएल द्वारा प्रमाणित प्रयोगशाला की रिपोर्ट जमा करेगा, जिसमें इस बात की संपुष्टि की जाएगी कि क्या सप्लाई की गई सामग्री उपरोक्त आईएस विशिष्टताओं के अनुरूप है।

(iii) संघ लोक सेवा आयोग को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह सप्लाई किए गए बैगों के नमूने को किसी भी एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला में भेज सके ताकि नमूने का परीक्षण, उपरोक्त आईएस विशिष्टिताओं के अनुरूप किया जा सके।

<u>अनुबंध – II</u>

हमने .....(फर्म का नाम और पता) दिनांक ..... की निविदा आमंत्रण सूचना के प्रत्युत्तर में एयर मेल बैगों की खरीद निविदा के संबंध में तकनीकी एवं वित्तीय बोली प्रस्तुत की है। निविदा आमंत्रण सूचना के अंतर्गत यथापेक्षित जानकारी, हम एतदद्धारा निम्नानुसार प्रमाणित करते है :-

1. कि निविदा के सभी निबंधन एंव शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।
2. कि हम एनआईटी के विनिदेशों को पूरी तरह समझते हैं और हमारी बोली पूर्णत: निविदा आमंत्रण सूचना के निबंधन एंव शर्तो के अनुसार है।
3. कि फर्म सात से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है और पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इसका कारोबार कम से कम 1 करोड़ रूपए है।
4. कि मुझे/हमें तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आय/धन को छिपाने के लिए दंडित नहीं किया गया है और न ही दोषी पाया गया है ।

5. कि मुझे/हमें किसी भी सरकारी संगठन द्धारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

6. फर्म का विवरण नीचे दिया गया है:-

1.	फर्म का नाम	
2.	कार्यालय का पता	
3.	टेलीफोन नं./ मोबाईल नं.	
4.	ई – मेल	

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
फर्म / बोलीदाता का नाम और पता

<u>घोषणा</u>

<u>अनुबंध - III</u>

मैं.....सुपुत्र / सुपुत्री श्री----------
एतदद्धारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरा कोई भी संबंधी संघ लोक सेवा आयोग (सं.लो.से.आ.) नई दिल्ली में कार्यरत नहीं है। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मेरे द्धारा दी गई जानकारी असत्य/गलत है तो सं.लो.से.आ. को मुझे कोई पूर्व सूचना दिए बिना उचित समझी जाने वाली कोई भी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक: .....(फर्म की मुहर सहित बोलीदाता के दिनांक सहित हस्ताक्षर)

अनुबंध- IV

बोली मूल्य का प्रोफार्मा

बोलीदाता को केवल बी ओ क्यू प्ररूप में ही सी पी पी पोर्टल में बोली मूल्य अपलोड करना अपेक्षित है। अन्य किसी प्ररूप में बोली मूल्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। मूल्य अनुसूची सामान्य प्रारूप निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**विवरण**	**करों सहित यूनिट दर (भारतीय में)**		**यथा लागू कर प्रतिशत**
		प्रथम वर्ष (व 1)	द्वितीय वर्ष (व 2)	तृतीय वर्ष (व 3)
1.	एअरमेल बैग (काले रंग में) अनुबंध-। में विनिर्देशों के अनुरूप			

टिप्पणी

1. कर, यदि कोई हो, को अलग से उद्धृत किया जाएगा, ऐसा न किए जाने पर उद्धृत की गई दर को कर में शामिल समझा जाएगा और इस कार्यालय द्वारा करों के होने संबंधी बाद के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इन करो को समय समय पर जारी सरकारी अनुदेशों के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है।

2. दरों में संघ लोक सेवा आयोग में सामग्री लाने/ उतारने से संबंधित सभी प्रभार शामिल होंगे।

3. प्रथम वर्ष की शुरूआत संविदा प्रदान किए जाने की तारीख से होगी।

4. एन पी वी (कुल वर्तमान मूल्य) का परिकलन 10% वार्षिक छूट की दर पर किया जाएगा। एल -1 फर्म का निर्णय करने के लिए परिकलन का विवरण निम्नानुसार है -:

टिप्पणी :

एन पी वी = {वाई1+वाई 2/ (1+ 0.1) + वाई 3/ (1+ 0.1)^2}
[एन पी वी= कुल वर्तमान मूल्य; वाई 1= प्रथम वर्ष के लिए उद्धृत की गई दर; वाई 2=द्वितीय वर्ष के लिए उद्धृत की गई दर तथा वाई 3=तृतीय वर्ष के लिए उद्धृत की गई दर]
एन पी वी का उदाहरण :

(i) यदि वाई 1= 150, वाई 2= 200 तथा वाई 3= 240 , तब एन पी वी का परिकलन निम्नानुसार होगा -:
एन पी वी = 150 + (200/1.1) + (240 /1_21)
=150 + 181.82 + 198.35
= 530.17
इस प्रकार, एन पी वी 530.17

(ii) यदि वाई 1= 300, वाई 2= 250 तथा वाई 3= 200, तब एन पी वी का परिकलन निम्नानुसार होगा -:
एन पी वी = 300 + (250/1.1) + 9200/1.21)
= 300 + 227.27 + 165.29
= 692.56
इस प्रकार एन पी वी 692.56 रूपए है।

एल-1 वेंडर का चयन एन पी वी के आधार पर किया जाएगा। तथापि, वेंडर द्वारा उद्धृत वर्षवार दर तथा लागू करों के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

अनुबंध-V

जांच सूची

क्र.सं.	**विवरण**	हां/नहीं	पृष्ठ सं.
1.	क्या पैन कार्ड की हस्ताक्षिरत एवं स्कैन की गई प्रति संलग्न है?		
2.	क्या जी एस टी पंजीकरण प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति संलग्न की गई है ?		
3.	क्या वर्ष 2017-18 सहित पूर्ववर्ती तीन वर्षों की फर्म की आयकर विवरणी की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति संलग्न है?		
4.	क्या वर्ष 2017-18 सहित फर्म की पूर्ववर्ती तीन वर्षों की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की प्रति संलग्न है?		
5.	क्या पूर्ववर्ती 5 वर्षों के दौरान कम से कम 2 क्रय आदेशों की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति संलग्न है?		
6.	क्या आई एस ओ प्रमाण-पत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति संलग्न है?		
7.	क्या जमा धरोहर राशि की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति संलग्न है?		
8.	क्या काटन एयरमेल बैगों के दो नमूनों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया गया है?		
9.	क्या एयरमेल बैगों के नमूनों के लिए एन ए बी एल प्रमाणित प्रयोगशाला द्वारा दिया गया मूल परीक्षण प्रमाणपत्र संघ लोक सेवा अयोग को सौंप दिया गया है?		
10.	क्या अनुबंध-।। में दिए गए प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति संलग्न है?		
11.	क्या अनुबंध-।।। में दी गई घोषणा की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति संलग्न है?		

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
फर्म का नाम एवं पता
दूरभाष सं/.मोबाइल सं/.फैक्स सं

ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के अनुदेश

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का प्रयोग कर सी पी पी पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से अपनी बोलियों की सॉफ्ट प्रतियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है। नीचे दिए गए अनुदेशों का तात्पर्य सीपीपी पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, अपेक्षानुसार अपनी बोलियां तैयार करने तथा सीपीपी पोर्टल पर उनकी बोलियों को ऑन लाइन प्रस्तुत करने में बोलीदाताओं की सहायता करना है।

सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए और अधिक उपयोगी जानकारी https://eprocure.gov.in/eprocure/app से प्राप्त की जा सकती है।

पंजीकरण:

(1) बोलीदाताओं को केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के ई-प्रोक्यूरमेंट माड्यूल (यू आर एल: https://eprocure.gov.in/eprocure/app) (सीपीपी पोर्टल) पर " **ऑनलाइन बोलीदाता इनरॉलमेंट**" लिंक पर क्लिक करके, जो नि:शुल्क है, पर इनरॉल करना अपेक्षित है।

(2) इनरॉलमेंट प्रक्रिया के भाग के रूप में बोलीदाताओं को यूनिक यूजरनेम का चयन तथा अपने अकाउन्ट के लिए पासवर्ड असाईन करना अपेक्षित होगा।

(3) बोलीदाताओं को पंजीकरण प्रक्रिया के रूप में अपने वैध ई-मेल आई.डी. तथा मोबाइल नं. को रजिस्टर करने की सलाह दी जाती है। इसे सीपीपी पोर्टल से किसी भी प्रकार के संप्रेषण के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।

(4) इनरॉलमेंट हो जाने पर बोलीदाताओं को अपने प्रोफाइल सहित सी सी ए भारत द्वारा

मान्यताप्राप्त (उदारहणार्थ सी फी / टी सी एस / एन कोड / ई-मुद्रा आदि) किसी प्रमाणिक प्राधिकरण द्वारा जारी अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (साइनिंग की यूजेज सहित श्रेणी-II या श्रेणी–III प्रमाण पत्र) को रजिस्टर करना अपेक्षित होगा।

(5) बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत किया जाए। कृपया नोट कर लें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि उन्होंने अपना डी एस सी किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं दिया है, जो इसका दुरूपयोग कर सकता है।

(6) बोलीदाता उसके बाद सुरक्षित लॉग इन के माध्यम से अपना यूजर आई डी / पासवर्ड और डीएससी / ई-टोकन का पासवर्ड प्रविष्ट कर साइट पर लॉग इन करें।

निविदा दस्तावेज़ के लिए सर्च करना :

(1) सीपीपी पोर्टल पर विभिन्न सर्च विकल्प मौजूद है, साथ ही कई पैरामीटरों द्वारा सक्रिय निविदाओं की खोज हेतु बोलीदाताओं को सुविधा प्रदान की गई है। इन पैरामीटरों में निविदा आई डी, संगठन का नाम, अवस्थिति, तारीख, मूल्य आदि शामिल हो सकते हैं। निविदा की एडवान्सड सर्च के लिए भी विकल्प मौजूद है जिसमें बोलीदाता सर्च पैरामीटरों की संख्या जैसे संगठन का नाम, संविदा का फार्म, अवस्थिति, तारीख, अन्य कीवर्ड आदि सी पी पी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की सर्च के लिए संयोजित कर सकते है।

(2) एक बार अपनी रूचि की निविदा का चयन करने के बाद बोलीदाता अपेक्षित दस्तावेज़/निविदा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। ये निविदाएं संबंधित 'मेरी निविदा' फोल्डर में ले जाई जा सकती हैं। इससे सीपीपी पोर्टल बोलीदाताओं को एस एम एस ई-मेल के माध्यम से निविदा दस्तावेज़ के संबंध में जारी होने वाले किसी भी शुद्धि पत्र की जानकारी दे सकेगा।

(3) बोलीदाता को प्रत्येक निविदा के लिए दिए गए यूनिक निविदा आई डी का एक नोट बना लेना चाहिए यदि वे हैल्प डैस्क से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण/ मदद चाहते हैं।

बोली तैयार करना:

(1) बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस्तावेज़ में प्रकाशित शुद्धिपत्र को ध्यान में रख लेना चाहिए।

(2) कृपया निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस्तावेज़ों को सावधानीपूर्वक अच्छी तरह से पढ़ लें और यह समझ ले कि बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने के लिए कौन से दस्तावेज़ अपेक्षित है। कृपया लिफाफों की संख्या, जिनमें बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, प्रत्येक दस्तावेज़ जिन्हें प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, का नाम तथा विषय वस्तु सहित दस्तावेज़ों की संख्या नोट कर लें। इनसे होने वाले किसी भी विचलन के कारण बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

(3) बोलीदाता को अग्रिम रूप में बोली दस्तावेज़/कार्यक्रम में यथानिर्दिष्ट बोली दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और साधारणतया ये दस्तावेज़ पी डी एफ / एक्स एल एस / डी डब्ल्यू एफ / आर ए आर / जे पी पी फार्मेट में होने चाहिए । बोली दस्तावेजों को श्वेत तथा श्याम विकल्प सहित 100 डी पी आई के साथ स्कैन किया जाएगा जो स्कैन किए गए दस्तावेजों के आकर को छोटा करने में मदद करता है ।

(4) मानक दस्तावेज़ों को अपलोड करने में लगने वाले अपेक्षित समय एवं प्रयास को कम करने के लिए, जिसे प्रत्येक बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, ऐसे मानक दस्तावेज़ों (उदाहरणार्थ पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध है । ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए बोलीदाता ''माई स्पेस" क्षेत्र या " अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़" क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो उनके पास उपलब्ध है । बोली प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेज़ों को सीधे " माई स्पेस" पर प्रस्तुत कर सकते हैं और इन्हें बार-बार प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यह बोली प्रस्तुत प्रक्रिया वालेकरने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करेगा।

बोली प्रस्तुत करना :

(1) बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम रूप में साईट पर लॉगइन करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख को या उससे पहले अपलोड कर सके । अन्य मुद्दों के कारण किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होंगे ।

(2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में इंगित किए अनुसार अपेक्षित बोली दस्तावेज़ों को एक-एक कर अपलोड कर डिजिटल हस्ताक्षर करने हैं।

(3) बोलीदाता को यथा लागू निविदा शुल्क/ जमा धरोहर राशि का भुगतान करने के लिए ''ऑफलाईन" भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और लिखत का विवरण प्रविष्ट करना होगा ।

(4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार जमा धरोहर राशि तैयार करनी चाहिए। मूल दस्तावेज़ डाक / कुरियर द्वारा संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट तारीख तक भेजा जाना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट / व्यक्तिगत रूप से भेजे गए कोई अन्य स्वीकृत माध्यम के विवरणों का मिलान स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण तथा बोली प्रस्तुत करने के दौरान प्रविष्ट किए गए डेटा से कर लेना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

(5) बोलीदाताओं से अनुरोध है कि उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि उन्होंने अनिवार्य रूप से प्रदान किए गए फार्मेट में ही अपनी वित्तीय बोलियों को जमा किया है तथा कोई अन्य फार्मेट स्वीकार्य नहीं है । यदि बोली मूल्य निविदा दस्तावेज़ के साथ मानक बीओक्यू फार्मेट में नहीं दिया गया है, तो उसे डाउनलोड कर सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना चाहिए। बोलीदाताओं को बीओक्यू फाइल डाउनलोड करना अपेक्षित है। इसे खोलें और अपने संबंधित वित्तीय उद्धरण तथा अन्य विवरणीय (जैसे बोलीदाता का नाम) सहित सफेद रंग की (असुरक्षित) सेल्स को पूरा करें । किसी अन्य सेल्स को परिवर्तित न करें । एक बार विवरण के पूरा हो जाने पर बोलीदाता को इसे सेव कर लेना चाहिए और फाइल के नाम को परिवर्तित किए बिना इसे ऑनलाइन प्रसतुत कर दें । यदि बीओक्यू फाइल बोलीदाता द्वारा संशोधित की गई पाई जाती है तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी ।

(6) सर्वरटाइम (जिसे बोलीदाता के डैश बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है) को बोलीदाता द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, बोलियों को खोलना आदि के संदर्भ के लिए मानक समय माना जाएगा । बोलीदाताओं को बोली के प्रस्तुतीकरण के दौरान इस समय का पालन करना चाहिए ।

(7) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ इन्क्रिपशन तकनीक पी.के. आई. का प्रयोग करते हुए इन्क्रिप्टेड होंगे ताकि डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। बोली खोले जाने के समय तक प्रविष्ट किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इन्क्रिपशन प्रौद्योगिकी के 128 बिट सुरक्षित सॉकेट लेयर का प्रयोग करते हुए बोली की गोपनीयता को अनुरक्षित किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा स्टोरेज इन्क्रिपशन किया गया है। प्रणाली जनित सममित की का उपयोग करते हुए सर्वर पर अपलोड किया गया कोई भी बोली दस्तावेज सममित इन्क्रिपशन के अध्यधीन है। इसके अतिरिक्त यह की एसमैट्रिक इन्क्रिपशन का प्रयोग कर क्रेता / बोली खोलने वाली सार्वजनिक कुंजी के अध्यधीन है। समग्र रूप से अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज प्राधिकृत बोली खोलने वाले द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पठनीय होंगे।

(8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले अधिकारियों द्वारा निविदा को खोले जाने के बाद ही पठनीय होंगे ।

(9) बोली का सफल तथा समयबद्ध तरीके से प्रस्तुतीकरण (अर्थात पोर्टल में " फ्रिज बिड सबमिशन" को क्लिक करने के बाद) होने पर पोर्टल सफल बोली प्रस्तुतीकरण संदेश देगा और बोली सं. और सभी संगत विवरण सहित बोली को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय के साथ बोली समरी प्रदर्शित हो जाएगी ।

(10) बोली समरी को मुद्रित किया जाना अपेक्षित है और बोली प्रस्तुतीकरण की पावती के रूप में इसे रख लें। इस पावती को बोली खोलने की किसी भी बैठक के लिए एन्ट्री पास के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।

11. बोलीदाताओं को सहायता

(i) निविदा दस्तावेज़ और उनमें निहित निबंधन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में उल्लिखित संगत अधिकारी को संबोधित पत्र भेज कर जानकारी प्राप्त की जाए।

(ii) ऑनलाइन बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्न 24X7 सीपीपी पोर्टल हेल्प डेस्क को अग्रेषित कर सकते है। हेल्प डेस्क के लिए संपर्क नं.180030702232 है। बोलीदाता +91-7878007972 एवं +91-7878007973 से भी मदद ले सकते हैं।